



मुख्य आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER
वस्तु एवं सेवाकर एवं सीमा शुल्क, विशाखापट्टणम क्षेत्र
GOODS AND SERVICE TAX AND CUSTOMS, VISAKHAPATNAM ZONE



स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं.20/2019/ Establishment Order (NGO) No.20/2019

दिनांक : 11 जुलाई, 2019/ Dated 11th July, 2019

विषय: निरीक्षक कैडर में स्थानीय स्थानांतरण/ ऋण आधार पर स्थानांतरण और तैनाती - के संबंध में।

Sub: Transfer and Posting in the cadre of Inspector on local transfer/loan basis transfer – Reg

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से श्री के श्रीनिवास राव, निरीक्षक, विशाखापट्टणम वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय को मुख्य आयुक्त कार्यालय के स्वीकृति शक्ति से राजस्व आसूचना निदेशालय, काकीनाडा उप-क्षेत्रीय इकाई में स्थानीय स्थानांतरण/ ऋण आधार पर तुरंत प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए तैनात किया जाता है। श्री के श्रीनिवास राव, निरीक्षक को श्री सारीडे सुरेश, निरीक्षक के द्वारा रिक्त किये गये स्थान के विरुद्ध तैनात किया गया है, जिन्हें इस कार्यालय के स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं.17/2019 दिनांक 24.05.2019 के द्वारा विशाखापट्टणम जीएसटी आयुक्तालय में तैनात किया गया है।

With the approval of the Competent Authority, Shri K. Srinivasa Rao, Inspector, Visakhapatnam GST Commissionerate is posted to DRI, Kakinada Sub-Regional Unit on local transfer/ loan basis from CCO's sanctioned strength with immediate effect and until further orders. Shri K. Srinivasa Rao, Inspector is posted against the vacancy of Shri Saride Suresh, Inspector who was posted to Vizag GST Commissionerate vide this office Establishment Order (NGO) No.17/2019 dated 24.05.2019.

2. उपरोक्त अधिकारी को राजस्व आसूचना निदेशालय, काकीनाडा उप-क्षेत्रीय इकाई में कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से दो साल तक के लिए तैनात किया जाता है। श्री के श्रीनिवास राव, निरीक्षक का वेतन और भत्ता मुख्य लेखा अधिकारी/आहरण और संवितरण अधिकारी, विशाखापट्टणम वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, विशाखापट्टणम के द्वारा आहरित किया जाएगा।

The above officer is posted to DRI, Kakinada Sub-Regional Unit for a period of two years from the date of joining in DRI. The pay and allowances Shri K. Srinivasa Rao, Inspector will be drawn by the DDO, Visakhapatnam GST Commissionerate, Visakhapatnam.

3. उपरोक्त अधिकारी को तुरन्त कार्य मुक्त किया जाए।
The above officer may be relieved immediately.

4. राजस्व आसूचना निदेशालय में अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख की सूचना मुख्य आयुक्त कार्यालय, विशाखापट्टणम जोन को दी जाए।

The date of joining of the officer in DRI may be intimated to CCO, Visakhapatnam Zone.

5. संगत दस्तावेजों में आवश्यक प्रविष्टियां की जाए।
Necessary entries may be made in relevant records.


(अरविंद दास/Aravinda Das)

सहायक आयुक्त/Assistant Commissioner

[फा.सी.नं।/03/05/2019-सीसी(वी.जेड)स्था.-पी.एफ-IV से जारी/Issued from file C.No.II/03/05/2019-CC (VZ)Estt-PF-IV]

प्रति/To: संबंधित व्यक्ति को /The individual.

प्रतिलिपि/To :-

1. अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, हैदराबाद आंचलिक इकाई, हैदराबाद।
The Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence, Hyderabad Zonal Unit, Hyderabad.
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर, विशाखापट्टणम वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, विशाखापट्टणम को कृपया जानकारी और आवश्यक कार्यवाई के लिए।
The Principal Commissioner of Central Tax, Visakhapatnam GST Commissionerate, Visakhapatnam for information and necessary action please.
3. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, विशाखापट्टणम ।
The PAO, Central Excise and Customs, Visakhapatnam.
4. मुख्य लेखा अधिकारी/आहरण और संवितरण अधिकारी, विशाखापट्टणम वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, विशाखापट्टणम।
The CAO/DDO, Visakhapatnam GST Commissionerate, Visakhapatnam.
5. स्टॉक फाइल / Stock file.
6. नोटिस बोर्ड/ Notice Board.